PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 2, ISSUE 3

घुमंतू जनजातियों की जातपंचायत

(मराठी से हिंदी में अनूदित घुमंतू जनजाति के स्वकथनों के संदर्भ में)

दत्तात्रय रामचंद्र भोसले,
शोधछात्र,
हिंदी विभाग,
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
महाराष्ट्र भारत

प्रो. डॉ. वी. एन. भालेराव,
शोधनिर्देशक एवं अध्यक्ष,
हिंदी विभाग,
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,पुणे
महाराष्ट्र भारत

'घुमंतू' के लिए मराठी में 'भटका' या 'भटके', अंग्रेजी में 'Nomad' या 'Nomade' शब्द प्रचलित है। यह शब्द ग्रीक के 'Nomi' या 'Nemo' से आया ऐसा माना जाता हैं। जिसका अर्थ है 'जानवरों को चराने वाले चारगाह'।[1] 'घुमंतू जनजाति' के लिए अंग्रेजी में 'Nomadic Tribe' शब्द प्रचलित है। 'Tribe' का अर्थ है 'वन्यजाति, गणजाति, जनजाति, जत्था, टोली, कबीला, और 'Tribeman' का अर्थ है 'वनजातीयक, जनजातिय, आदिवासी, कबायली आदमी।'[2]

हिंदी विश्वकोश में 'घुमक्कड', 'भटकना' शब्द मिलते हैं। 'घुमक्कड़' का अर्थ दिया है 'बहुत घुमने वाला, जो बहुत भ्रमण करता हो।'[3] 'भटकना' (हि.क्रि.) का अर्थ तीन प्रकार से दिया है- एक. व्यर्थ इधर उधर घुमना, फिरना। दो. रस्ता भूल जाने के कारण इधर-उधर घुमना। और तीन. भ्रम में पड़ना।' 'भटकना' (हि.क्रि.) का अर्थ है- 'गलत रास्ता बताना, ऐसा रास्ता बताना जिसमें आदमी भटके। धोखा देना, भ्रम में डालना।'[4] इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे धोखा देकर, भ्रम में डालकर, गलत रास्ता बताकर भटकाया गया और भ्रम में पड़कर सही जीवनयापन का रास्ता भूल जाने के कारण जो लोग जीवनयापन के लिए इधर-उधर दिशाहीन घुमते या भटकते रहते हैं वे 'घुमंतू जनजातियाँ' है।

'नोमॅड' शब्द का अर्थ मुख्यतः दो रूपों में लिया जाता हैं- एक जिन्हें अपना खुद का घर नहीं, अपनी खुद की खेती नहीं; जिनके पास जानवरों के झुंड हैं, ऐसे लोग जानवरों के लिए चरागाह ढूँढ़ने हेतु लगातार भटकते रहते हैं। दूसरा अर्थ है एक ही जगह हमेशा निवास न करने वाले लगातार भटकने वाले लोग। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उदरनिर्वाह के लिए पालतू जानवरों के साथ लगातार घुमंतू जीवनयापन करने वाले लोगों के समुह ही घुमंतू जनजातियाँ है।

घुमंतू जनजातियाँ : परिभाषा :- घुमंतू जनजातियों के संदर्भ में अनेक परिभाषाएँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ परिभाषाओं का विवेचन यहाँ दिया है। भारतीय समाज विज्ञान कोश में घुमंतू जनजाति की परिभाषा दी है- ''कोणत्याही एके ठिकाणी स्थायी स्वरूपाची वस्ती न करता उपजीविकेसाठी सतत आणि वरचेवर स्थलांतर करणाया

जमाती म्हणजे 'भटक्या जमाती''।[5] अर्थात् 'किसी भी एक जगह स्थिर बस्ती न करनेवाली उपजीविका हेतु लगातार हमेशा स्थलांतर करने वाली जनजातियाँ ही 'घुमंतू जनजातियाँ' है। इस परिभाषा में घुमंतू जनजातियों के दो लक्षण बताये हैं एक जिनकी स्थिर बस्ती नहीं है और दो जिन्हें उपजीविका हेतु लगातार स्थलांतर करना पड़ता है।

लक्ष्मणशास्त्री जोशी जी ने घुमंतू की परिभाषा दी है- ''उदर निर्वाहासाठी निवडलेल्या अगर वाटयास आलेल्या व्यवसायानिमित्त अथवा उदरनिर्वाहाच्या साधनाच्या शोधात भटकत राहाणाया लोकांना 'भटके' म्हणतात.''[6] अर्थात् 'उदरनिर्वाह' के लिए चुने गये या अपने हिस्से आये हुए व्यवसाय हेतु या उदरनिर्वाह के साधनों की खोज हेतु भटकने वाले लोगों को 'घुमंतू' कहा जाता है।' जोशी इसमें उदरनिर्वाह के साधनों की खोज करनेवाले लोगों को घुमंतू जनजाति मानते हैं। इसमें जोशी और एक बात की ओर संकेत करते हैं कि परंपरागत समाज व्यवस्था में घुमंतू जनजातियों को उदरनिर्वाह हेतु इस प्रकार का व्यवसाय या तो दुर्भाग्यवश चूनना पड़ा या इनके हिस्से में जबरदस्ती दिया गया। इसलिए इन्हें अनाज की खोज में भटकना पड़ता है।

घुमंतू जनजातियों के लेखक दादासाहेब मोरे का 'डेराडंगर' स्वकथन प्रसिद्ध है। इसमें भोगा हुआ यथार्थ एवं घुमंतू जीवन की त्रासदी अभिव्यक्त हुई है। मोरे ने घुमंतू जनजाति की परिभाषा दी है- ''उदरनिर्वाहाकरिता निवडलेल्या अगर वाट्यास आलेल्या व्यवसायानिमित्त अगर उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या शोधार्थ भटकत रहाणाया समाज गटांना 'भटक्या जमाती' असे म्हणतात.''[7] अर्थात् 'उदरनिर्वाह के लिए चुने गये या अपने हिस्से आये हुए व्यवसाय हेतु एवं उदरनिर्वाह के साधनों की खोज हेतु भटकने वाले समाज गुट को 'घुमंतू जनजातियाँ' कहा जाता है।' घुमंतू जनजातियों के लोगों को अपनी दयनीय स्थिति के कारण अनिश्चित व्यवसाय को या तो चुनना पड़ा या परंपरागत समाज व्यवस्था ने इनके हिस्से दे दिया। इन जनजातियों को उदरनिर्वाह के साधनों की खोज करने के लिए लगातार भटकना पड़ता है। इसका मुख्य कारण इन जनजातियों के पास उपजीविका के निश्चित एवं स्थिर साधन नहीं है।

वी. राघवय्या ने अपने ग्रंथ 'नोमॅड' में दि रॉयल ॲन्थ्रोपोलॉजीकल इन्स्टीट्युट ऑफ ग्रेट ब्रिटिश द्वारा दी घुमंतू लोगों की परिभाषा उद्धृत है- ''Nomadic People are those who depend principally on hunting or collecting for their supplies having no permanant abodes.''[8] अर्थात् घुमंतू लोग वे हैं जो उदरनिर्वाह के लिए प्रमुखतः शिकार पर निर्भर रहते हैं या अपने जीवनोपयोगी वस्तुओं को इकठ्ठा करने हेतु भटकते हैं। इन्हें कही भी अपनी भूसंपत्ती नहीं होती है।' इस परिभाषा से घुमंतू लोगों के तीन लक्षण स्पष्ट होते हैं- एक इनका उदरनिर्वाह प्रमुखतः शिकार पर निर्भर रहता है, दो इन्हें अपने जीवनापयोगी वस्तुओं को इकठ्ठा करने के लिए भटकना पड़ता है और तीन ये भूसंपत्तीविहीन होते हैं।

घुमंतू जनजातियों का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त अर्थ एवं परिभाषा के साथ ही अन्य विद्वानों के विचार भी दृष्टव्य है। मराठी दलित साहित्य के श्रेष्ठ विद्वान शंकरराव खरात का मानना है कि ''स्थिर जनजाति और अस्थिर जनजातियों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अस्थिर जनजातियाँ अस्थिर ही रही उन्हें घुमंतू जीवनयापन करना पड़ा। घुमंतू जनजातियाँ अपने परिवार और पालतू जानवारों के साथ भटकती रही। कभी ये घुमंतू लोग स्थिर जीवन जी रहे लोगों की बस्ती के पास आते, उनकी सहायता से कुछ दिन उदरनिर्वाह कर के आगे निकल पड़ते थे। इसी प्रकार का जीवन जी रही अनेक घुमंतू जनजातियाँ थी।''[9] तत्कालीन समाज व्यवस्था

में घुमंतू जीवनयापन करने के लिए मजबूर जनजातियाँ अनंत काल तक घुमंतू ही रही है। इन्हें स्थिर समाज-व्यवस्था ने भी स्थिर होने नहीं दिया। हमेशा के लिए सत्ता, संपत्ती से वंचित रखा गया।

उपर्युक्त परिभाषा और विवेचन के बाद घुमंतू जनजातियों की सर्वसमावेशक परिभाषा दी जा सकती है कि 'परंपरागत समाजव्यवस्था एवं ग्रामव्यवस्था में जिन लोगों को स्थान नहीं मिल पाया, भूसंपत्ती जैसे उपजीविका के स्थिर एवं निश्चित साधन न मिल पाने के कारण जिन्हें अधिकार एवं धन-दौलत से वंचित, उपेक्षित रहना पड़ा, इसलिए जीवनोपयोगी वस्तुओं को इकठ्ठा करने हेतु जिन लोगों को शिकार करने, कला-कौशल दिखाने एवं भीख माँगने के लिए वन-वन या गाँव-गाँव भटक कर अपना उदरनिर्वाह करना पड़ता है, जिनके माथे पर गुनहगार की मुँहर लगी है और जो गाय-बैल, गधे-घोड़े, भेड़-बकरियाँ, कुत्ते, बंदर, भालू, साँप आदि जानवरों एवं अपने परिवार के साथ डेराडंगर लेकर झुड़-के-झुंड भटकते हैं ऐसे लोगों के समुह को 'घुमंतू जनजातियाँ' कहते है।'

घुमंतू जनजाति की जातपंचायत -

घुमंतू जनजाति की अपनी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था होती है, जो रूढ़ि परंपरा के अनुसार न्याय दान करती है। अपनी-अपनी जनजाति के बुजुर्ग एवं सयाने लोग जातपंचायत के पंच रहते हैं, जिन्हे जातपंचायत के नियम ज्ञात होते हैं। ये नियम अलिखित होते हैं। इसी अलिखित नियमों के आधार पर वे न्याय, निर्णय करते हैं। पंचों में भी एक मुखिया या सरपंच अंतिम निर्णय देता है। जातपंचायत का निर्णय सबके लिए बंधनकारक रहता है। इसमें स्त्रियों को स्थान नहीं होता, सिर्फ पुरूष ही निर्णय लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि घुमंतू की जातपंचायत पितृसत्ताक है। जातपंचायत के पंच दोषी को सजा सुनाते हैं। यह सजा या दंड पैसों के रूप में या बहिष्कार के रूप में रहता है। मढ़ी, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र में हरसाल बड़ा मेला लगता है। अनेक घुमंतू जनजातियाँ इस मेले में सम्मिलित होती है। इसी मेले में घुमंतू जनजातियों की अपनी-अपनी स्वतंत्र जातपंचायत बैठती है।

'कैकाडी' जनजाति की जातपंचायत :- कुरवली गाँव की कालुबाई के मेले के अंतिम दिन 'कैकाडी' जनजाति की जातपंचायत बैठती है। कालूबाई मंदिर के पीछे एक बरगद के पेड़ की छाँव में जातपंचायत होती है। दो-चार बड़े बुड्ढ़े पंच का काम करते हैं, जो पंचरंगी पगड़ी पहनकर इतराते हैं। जिनको न्याय चाहिए ऐसे दोनों दल के लोग एकत्र हो जाते हैं। एक बुड्ढ़ा पंच दोनों दलों को कोर्ट का खर्चा पहले देने को कहता है। वादी-प्रतिवादी पंचों के सामने पैसे रखते हैं। फिर पक्षकार अपनी कैफियत रखते हैं। वादी-प्रतिवादी को बोलने की इजाजत नहीं होती। उनकी ओर से जमानतदार बोलते हैं। 'पराया' स्वकथन में जातपंचायत का प्रसंग उद्घाटित हुआ है। पुन्नापा, उसकी औरत और धर्मा को लेकर जातपंचायत बैठती है। पुन्नापा के अनुसार उसकी औरत धर्मा के पास पैसों के लिए गिरवी रखी थी। धर्मा ने पुन्नापा को पाँच बार पचास पचास रूपये दिये थे। पैसे चार साल में देने का वादा था। अब वह पैसे लौटा रहा है। परंतु धर्मा औरत को लौटा नहीं रहा था। उसका कहना है कि अब औरत से मुझे एक नन्हा बच्चा हुआ है। वह अगर पैसे देता है, तो मैं औरत को लौटाने के लिए तैयार हूँ। परंतु औरत की ओर से प्रतिवादी कहता है कि 'धर्मा से मुझे एक बच्चा हुआ है, मैं उसीके साथ रहना चाहती हुँ।' सबकी सुनने के बाद 'जातपंचायत' निर्णय करती है कि पुन्नापा धर्मा को ब्याज और पूँजी प्रथानुसार दें। औरत जिसके साथ रहना चाहती है वह दूसरी शादी का खर्चा दें। इस पर जातपंचायत समाप्त हो जाती है। शादी के दिनों किसी का झगड़ा-तंटा होता तो वहीं 'जातपंचायत' बैठती है। बच्चा पंद्रह-सोलह साल का होने पर उसे जात-बिरादरी से अवगत कराया जाता है। 'पराया' स्वकथन में लेखक लिखते हैं कि ''देखते-देखते सातवीं का साल खत्म होने को आया। मन लगाकर पढ़ाई

कर रहा था। उसी साल बाप मुझे मढ़ी में लेकर गया। जात-बिरादरी में अब तुझे ले जाना चाहिए। इसलिए ले गया।''[10]

'डुग्गी जोशी' जनजाति की जातपंचायत :- इस जनजाति की 'जातपंचायत आषाढ़ के दिनों होनेवाले मेले में होती है। इस जनजाति में प्रेम विवाह को मान्यता नहीं है। जाति नियमों के अनुसार पंच लोगों में तय करके विवाह करना चाहिए। अगर नियम तोड़कर कोई अपनी मर्जी से प्रेमविवाह करता है तो जातपंचायत उन्हें जाति से बहिष्कृत कर देती है। जाति से बहिष्कृत करने पर उसे कहीं भी शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता और सम्मान नहीं मिलता है। उसका जाति से कोई संबंध नहीं रहता। इस जनजाति में दंड वसूल करने की 'दांडी' और 'मांडी' ये दो धाराएँ हैं। इस संदर्भ में लेखक 'डेरांडगर' में लिखते हैं कि ''दांडी और 'मांडी' ये दो हमारी जाति की धाराएँ थीं। 'दांडी' धारा लागू करने पर सौ रूपए तक तावान (दंड) होता है और 'मांडी' धारा लागू करने पर एक सौ पचास रूपए तावान देना पड़ता है।''[11]

'कोल्हाटी' जनजाति की जातपंचायत :- सोनारी के मेले में 'कोल्हाटी' जनजाति की जातपंचायत होती है। इसी मेले के दूसरे दिन कोल्हाटी जनजाति के तमाम बुड्ढ़े या जवान इकट्ठे बैठते हैं। जनजाति के नियमों को तोड़कर जिसने कोई गुनाह किया हो, उसे पंचो द्वारा सजा सुनाई जाती है। लेखक 'छोरा कोल्हाटी का' स्वकथन में लिखते हैं कि ''कोई किसी की बीवी को उठा ले गया होता है, किसी ने किसी का खून किया होता है। किसी ने चोरी की हुई होती है। इसके लिए कोर्ट नहीं, समाज की पंचायत ही ऐसे मुजरिमों को सजा देती हैं।''[12] जातपंचायत न्याय-अन्याय का निर्णय कर लेती है। दोषी को जुर्माना या जाति से बाहर करने का निर्णय लिया जाता है। किसी व्यक्ति को काफी सालों तक जनजाति से बाहर कर दिया हो तो ऐसे व्यक्ति को तथा परिवार को जुर्माना भरकर फिर से जनजाति में लिया जा सकता है। जनजाति से बाहर निकालने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति या परिवार के साथ जात बिरादरी में विवाह नहीं होता। किसी धार्मिक उत्सव में शामिल नहीं किया जाता। जातपंचायत में जुर्माना की जमा हुई पूँजी से पंच लोग खा-पीकर मौज करते हैं। ऐसी ही 'कोल्हाटी' जनजाति की जातपंचायत पूने के पास जेजूरी में होती है।

'बेरड' जनजाति की जातपंचायत :- बेरडों के दो गुटों में मारपीट या खून खराबा होने पर 'बेरड' जनजाति के पंच बैठकर जानकारी लेते हैं। अपराध साबित होने पर अपराधियों को जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माने की रक्कम पंच-मंडली आपस में बाँट लेते हैं। 'बेरड' जनजाति में किसी पर अन्याय, अत्याचार होता है तो जातपंचायत बिठाने का फैसला लिया जाता है। किसी की बेटी को कोई भगाकर ले गया हो, मारपीट या खून हुआ हो तो जातपंचायत बैठती है। जिस पर अन्याय हुआ है, वह व्यक्ति आसपास इलाके के सभी पंचों को बुलाकर ले आता है। वह पंचों से गुजारिश करता है कि 'मुझ पर हुआ अन्याय दूर हो'। किसी एक दिन जातपंचायत बिठाना तय होता है। जातपंचायत जिस पर अन्याय हुआ है वह और जो अपराधी है उसे भी अपनी बात रखने का मौका देती है। पंच लोग आपस में विचार-विनिमय करके अपराध का जुर्माना तय करते हैं। अपराधी को जुर्माने की रक्कम एक महिने के अंदर सरपंच के पास जमा करने के लिए कहते हैं। अगर समय सीमा में जुर्माने की रक्कम जमा नहीं की तो जुर्माना बढ़ाया जाता है।

'नाथपंथी डवरी गोसावी' जनजाति की जातपंचायत :- इस जनजाति की जातपंचायत मुख्यतः नाथबाबा के मेले में बैठती है। इसमें खरसुंडी, कारूंडे जि. सोलापूर, वर्णे-आबापुरी, जि. सातारा, उदासा जि. नागपुर, मढ़ी जि.

अहमदनगर, मुंबई आदि स्थान महत्वपूर्ण है। विवाह प्रसंग या किसी घटना प्रसंग के अनुसार वह किसी गाँव में भी होती है। डॉ. नारायण भोसले अपने ग्रंथ 'भटक्याची पितृसत्ताक जातपंचायत परंपरा आणि संघर्ष' में लिखते हैं कि ''इस जनजाति के आदिपुरूष समनाथ महाराज, सितलनाथ महाराज, अवधूत बाबर और सूर्यनाथ शिंदे इन्होंने भामदरा गाँव में जनजाति के नियम बनाए। इसे ही बत्तीस का कानून कहा जाता है।''[13] जनजाति के किसी व्यक्ति ने झगड़ा किया, चोरी की, गाली दी, खून किया तथा। स्त्री के साथ छेड़खानी की तो जातपंचायत बैठती है। जातपंचायत में बूट या चप्पले पहनकर आया, नातेदारी में विवाह किया, अंतरजातीय विवाह किया आदि अपराधों के लिए अलग-अलग दंड की व्यवस्था है। इनमें नाते-रिश्ते में विवाह नहीं होते तथा अन्य जाति-जनजाति के स्त्री-पुरूष से विवाह नहीं होता। विवाह के संबंध में इस जनजाति के कडे नियम है। जातपंचायत में स्त्रियाँ बैठ नहीं सकती। इस जनजाति में मान-अपमान के लिए आज भी झगड़े होते हैं। इसलिए जातपंचायत का आयोजन किया जाता है।

घुमंतू स्वकथनों में घुमंतू जनजातियों की 'जातपंचायत' का स्वरूप स्पष्ट हुआ है। घुमंतू की 'जातपंचायत' पुरूष प्रधान है। इसके पंच एवं सरपंच पुरूष ही होते हैं। स्त्री जातपंचायत में बैठ नहीं सकती, जबकि जातपंचायत में अधिकतर मामले स्त्री को लेकर होते हैं। पुरूष की सत्तावाली यह जातपंचायत न्याय-अन्याय का निर्णय लेती है और अपराधी को दंड तथा सजा सुनाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Raghaviah V., Nomad, Bharateeya Adimajati Sevak Sangh, Swarajya Printing Works, Secunderabad, First edition 1968, Page 47
2. बाहरी डॉ. हरदेव, बृहत् अंग्रेजी-हिंदी कोश भाग 1, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, सं. 1969, पृ. 2001
3. वसु नगेंद्रनाथ (सं.), हिंदी विश्वकोश, भाग 7, पृ. 22
4. वही, भाग 15, पृ. 701
5. गर्गे स. मां. (सं.), भारतीय समाजविज्ञान कोश, भाग 3, समाजविज्ञान मंडळ, पुणे, प्र.सं. 1989, पृ. 392
6. जोशी लक्ष्मणशास्त्री, मराठी विश्वकोश, भाग 12, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिति मंडळ, मुंबई, प्र. सं. 1985, पृ. 12
7. मोरे दादासाहेब, भटक्या विमुक्तांचे साहित्य : वैशिष्ट्ये, स्वरूप आणि प्रेरणा, साहित्य अकादमी, मुंबई और पुणे विद्यापीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी, दि. 2 व 3 फरवरी 2011 में प्रस्तुत आलेख, पृ. 3
8. Raghaviah V., Nomad, Bharateeya Adimajati Sevak Sangh, Swarajya Printing Works, Secunderabad, First edition 1968, Page 49-50
9. खरात शंकरराव, भटक्या-विमुक्त जमाती व त्यांचे प्रश्न, सुगावा प्रकाशन, पुणे, प्र. सं. 2003, पृ. 30
10. माने लक्ष्मण पराया, अनुवाद दामोदर खडसे, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, सं. 1993, पृ. 58

11. मोरे दादासाहब, डेराडंगर, अनुवाद डॉ. अर्जुन चव्हाण, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2001, पृ. 164
12. काले किशोर शांताबाई, छोरा कोल्हाटी का, अनुवाद अरुंधती देवस्थले, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 1997, पृ. 49
13. भोसले डॉ.नारायण, भटक्यांची पितृसत्ताक जातपंचायत परंपरा आणि संघर्ष, द ताईची प्रकाशन, पुणे, सं. 2008, पृ. 33